(19)

श्री

पुनरीक्षण याचिका क्रमांक :-- /2014
प्रस्तुती दिनांक :-- 16 अप्रैल 2014

रा. रा. श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प, इन्दौर

R.1338-PBR/14

(1) सुशीलाबाई पति कमलेश सोनी,
निवासी-ग्राम पुवाल्डाजुर्नादा,
तहसील सांवेर, जिला इन्दौर

(2) कमलेश पिता कन्हैयालालजी सोनी,
निवासी-ग्राम पुवाल्डाजुर्नादा,
तहसील सांवेर, जिला इन्दौर ---- आवेदक/प्रार्थीगण

वि रू द्ध

श्री एम. एल. चौधरी अभिभाषक उपस्थित ... 16/4

(1) हेमन्त पिता बंशीलाल सोनी,
निवासी-डही, तहसील डही, जिला धार

(2) रम्भाबाई पति बंशीलाल सोनी,
निवासी-डही, तहसील डही, जिला धार

(3) राजमणी पति ओमप्रकाश सोनी,
निवासी-सरदारपुर, तहसील सरदारपुर,
जिला धार (म0प्र0)

23.4.14

(4) ताराबाई पति दिलीप कुमार सोनी,
निवासी-धामनोद, तहसील धरमपुरी,
जिला धार (म0प्र0)

(5) चिन्तामणी पति मनोज कुमार सोनी,
निवासी-जोबट, तहसील जोबट,
जिला अलीराजपुर (म0प्र0) ---- अनावेदकगण

पुनरीक्षण : अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू. राजस्व संहिता 1959

----(2)पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 1338–पीबीआर/14 जिला इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–5–2015	आवेदकगण की ओर से श्री एम0एल0 चौधरी अभिभाषक उपस्थित । उन्हें ग्राहयता पर सुना गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 4.2.2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना आवेदक को सुने अपर तहसीलदार को प्रकरण कमांक 559/बी–121/12–13 में पारित आदेश दिनांक 6.4.2013 के पुनर्विलोकन की अनुमति दी गई है । 2000 आर0एन0 76 शहीद अनवर विरूद्ध राजस्व मण्डल तथा एक अन्य में माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा इस आशय का न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि बिना दूसरे पक्ष को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये पुनर्विलोकन की अनुमति नहीं दी जा सकती है । अतः उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.2.2014 निरस्त किया जाता है । प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया जाकर, पुनर्विलोकन की अनुमति पर विचार किया जाये । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	